



दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या.: प्लेक्स/ सीआईआर /670/ संशोधित

07/10/2024

प्रति,

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/

सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: हमारे निर्यातकों द्वारा सामना किए जा रहे गैर-टैरिफ उपायों (एसपीएस) मुद्दे को आगामी डब्ल्यूटीओ एसपीएस समिति की बैठक में उठाया जाएगा - के संबंध में।

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि वाणिज्य विभाग जिनेवा में डब्ल्यूटीओ एसपीएस समिति की बैठक कर रहा है।

स्वच्छता और पादप स्वच्छता (एसपीएस) उपाय संगरोध और जैव सुरक्षा उपाय हैं जो कीटों और बीमारियों के प्रवेश, स्थापना और प्रसार से उत्पन्न होने वाले जोखिमों और खाद्य और फ़ीड में योजक, विषाक्त पदार्थों और संदूषकों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से मानव, पशु या पौधे के जीवन या स्वास्थ्य की रक्षा के लिए लागू किए जाते हैं।

ये उपाय विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों के आवेदन पर समझौते (एसपीएस समझौता) और स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों पर इसकी समिति (एसपीएस समिति) द्वारा शासित हैं।

वर्तमान समिति की बैठक सदस्य देशों को चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, ताइवान, मंगोलिया जैसे उत्तर पूर्व एशियाई देशों के किसी भी सदस्य देश द्वारा लागू किए गए एसपीएस से संबंधित गैर-टैरिफ उपायों के संबंध में अपनी चिंताओं को उठाने का अवसर देती है।

इस संबंध में, उत्तर पूर्व एशिया (एनईए) देशों को निर्यात करने वाले सदस्यों द्वारा सामना किए जाने वाले व्यापार में तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) के मुद्दों से संबंधित जानकारी 7 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12 बजे तक bharti@plexconcil.org; anirudha@plexconcil.org पर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है।

सादर,

भारती पारवे

उप निदेशक – व्यापार और नीति

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद